


31/5/24

पत्रावली पेश हुई वकील पार्थ उपस्थित।
अपराधी अनुपस्थित। वकील पार्थ ने प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पार्थ अपनी के
विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए प्रकरण
विधवा करना चाहते हैं। अतः पार्थ द्वारा प्रस्तुत
विधवा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं
प्रकरण विधवा करने की स्वीकृति दी जाती है।
पार्थ का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय
आहितों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 इसी स्ट्रेन
पर रजिस्ट्र किया जाता है। पत्रावली के लक्ष शुभ
होकर 5/5/24 है।


क्लकटर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)